



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 24 मार्च, 2026

चैत्र 3, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—10

संख्या 163/आठ-10-2026-12गठन-2007

लखनऊ, 24 मार्च, 2026

अधिसूचना

प०आ०-150

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-661/आठ-10-24-12-गठन/2007 दिनांक 20 अगस्त, 2024 में इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करते हैं—

संशोधन

(क) पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची में खण्ड (ख) में “ग्रामीण क्षेत्र” से सम्बन्धित सारणी में क्रम संख्या-499 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भ निम्नानुसार संशोधित होंगे और निम्नलिखित क्रम-संख्याएं और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थातः—

अनुसूची

बुलन्दशहर—खुर्जा विकास प्राधिकरण

क्र०सं०	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
500	किशनपुर (रा०को० 120720)	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर
501	ताजपुर (रा०को० 120757)	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर
502	खैरपुर (रा०को० 121329)	शिकारपुर	बुलन्दशहर
503	बड़ौदा (रा०को० 121353)	शिकारपुर	बुलन्दशहर
504	फरीदपुर हवेली (रा०को० 121344)	शिकारपुर	बुलन्दशहर
505	भटौला (रा०को० 121355)	शिकारपुर	बुलन्दशहर

क्र०सं०	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
506	नबादा (रा०को० 121392)	शिकारपुर	बुलन्दशहर
507	कौंदूपुर (रा०को० 121324)	शिकारपुर	बुलन्दशहर
508	चीती (रा०को० 121547)	खुर्जा	बुलन्दशहर
509	नगला शेखू (रा०को० 121598)	खुर्जा	बुलन्दशहर
510	सैण्डा फरीदपुर (रा०को० 121608)	खुर्जा	बुलन्दशहर
511	शाहवाजपुर (रा०को० 120543)	सिकन्द्राबाद	बुलन्दशहर
512	सलैमपुर कायस्थ (रा०को० 120489)	सिकन्द्राबाद	बुलन्दशहर
513	बील अकबरपुर (भाग) (रा०को० 120208) (एन०एच०-34 के दक्षिण का भाग)	दादरी	गौतमबुद्ध नगर

आज्ञा से,
पी० गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 163/Aath-10-2026-12Gathan-2007, dated March 24, 2026:

No. 163/Aath-10-2026-12Gathan-2007

Dated Lucknow, March 24, 2026

In exercise of the powers under Section 3 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted and amended by the Uttar Pradesh President's Acts (Re-enactment with Modifications) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974) read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Official *Gazette*, is pleased to make the following amendment in Government Notification no. 661/VIII-10-24-12-Gathan/2007 dated 20 August, 2024, namely:-

AMENDMENT

In the Schedule to the aforesaid notification, in clause (B) in the Table relating to "Rural Area", after serial number 499 and the entries relating thereto, the Columns of the said Schedule shall stand amended as below and the following serial numbers and entries relating thereto shall Column-wise be inserted, namely:-

SCHEDULE

Bulandshahr-Khurja Development Authority

Sl. No.	Village Name	Tehsil	District
500	Kishanpur (R.Co. 120720)	Bulandshahr	Bulandshahr
501	Tajpur (R.Co. 120757)	Bulandshahr	Bulandshahr
502	Khairpur (R.Co. 121329)	Shikarpur	Bulandshahr
503	Barauda (R.Co. 121353)	Shikarpur	Bulandshahr
504	Faridpur Haveli (R.Co. 121344)	Shikarpur	Bulandshahr
505	Bhataula (R.Co. 121355)	Shikarpur	Bulandshahr
506	Newada (R.Co. 121392)	Shikarpur	Bulandshahr
507	Kondupur (R.Co. 121324)	Shikarpur	Bulandshahr
508	Chiti (R.Co. 121547)	Khurja	Bulandshahr
509	Nagla Sheikhu (R.Co. 121598)	Khurja	Bulandshahr
510	Sanda Faridpur (R.Co. 121608)	Khurja	Bulandshahr
511	Shahbajpur (R.Co. 120543)	Sikandrabad	Bulandshahr
512	Salempur Kayasth (R.Co. 120489)	Sikandrabad	Bulandshahr
513	Beel Akbarpur (Part) (R.Co. 120208) (Southern Part of the N.H.-34)	Dadri	Gautam Buddh Nagar

By order,
P. GURUPRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 राजपत्र-2026 (1)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० आवास एवं शहरी नियोजन-2026-(2)-100 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।